राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग

क्रमांक PHS/PS/2021/78 दिनांक 04.05.2021

जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान

विषयः– ऑक्सीजन सप्लाई में लगे वाहनों एवं वाहन चालकों के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि वाहन चालकों एवं उनके साथ लगे एस्कॉर्ट वाहनों एवं स्टाफ के भोजन एवं ठहराव के संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वाहन चालक/सहचालक ऑक्सीजन टैंकरों के परिवहन व्यवस्था की यह अहम कड़ी हैं। अगर यह व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो टैंकरों के नियमित एवं व्यवस्थित तथा त्वरित गति से संचालन की व्यवस्था चरमरा जायेगी।

अतः इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

(i) जैसे ही वाहन संबंधित जिले में पहुंचे, वाहन के साथ आये वाहन चालक/सहचालक, एस्कार्ट स्टाफ एवं प्रत्येक वाहन के साथ आये राजकीय कार्मिकों के रहवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था रखी जायें। चूंकि प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी को ऑक्सीजन वाहन के आने की पूर्व सूचना होती हैं, अतः यह अपेक्षित है कि उक्त व्यवस्था वाहन के गंतव्य स्थल तक पहुंचते ही की जायें।

(ii) किसी भी स्थिति में टैंकरों की अनलोडिंग का कार्य टैंकरों के चालकों से नहीं करवाया जायें, क्योंकि इसके कारण जब तक वाहन अनलोड नहीं होता हैं, वाहन चालक को उसके साथ रहना पड़ता हैं और उसे आराम, भोजन आदि का समय उपलब्ध नहीं होता हैं।

(iii) सम्पूर्ण राजस्थान में 23 ऑक्सीजन टैंकर एवं 23 एस्कार्ट वाहन राउण्ड–द–क्लॉक ऑक्सीजन परिवहन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिन पर लगभग 200 वाहन चालक एवं कार्मिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये कार्यरत हैं। उक्त संख्या में धीरे–धीरे ईजाफा भी हो रहा हैं। इस कम में इस व्यवस्था में लगे हुए कार्मिकों को चिकित्सकीय सुविधा भी संबंधित जिला स्तर पर आवश्यक रूप से प्रदान की जावें एवं प्रत्येक वाहन में मेडिकल किट भी आवश्यक रूप से रखवाई जायें।

(iv) यदि वाहनों की दैनिक दूरी 600 किमी. से अधिक हैं तो कुछ भोजन के पैकेट भी वाहन के रवाना होते समय रखवाये जायें।

(v) संबंधित जिले के आर.टी.डी.सी. होटल्स में वर्तमान में पर्यटकों का ठहराव नहीं हैं एवं उनमें वर्तमान में स्थान भी उपलब्ध हैं। अतः यदि संबंधित जिलें में आर.टी.डी.सी. की इकाई भी विद्यमान हैं, तो इन वाहनों के परिवहन में लगे स्टाफ एवं वाहन चालकों को आर.टी.डी.सी. इकाई में रूकवाया जा सकता हैं तथा आर.टी.डी.सी. के बिलो का भुगतान आपदा प्रबंधन हेतु आवंटित बजट से किया जायें। इस व्यवस्था के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिला कलक्टर से यह अपेक्षित हैं कि किसी उत्तरदायी अधिकारी को इस व्यवस्था का प्रभारी बनाया जायें एवं आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी प्रेषित की जायें। भविष्य में इस व्यवस्था में खामी पाये जाने पर उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव